दो रुपये TWO RUPEES — COURT FEE — भारत INDIA

79

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/1092 /2018 निगरानी

अनवर खान पुत्र मोहम्मद खान, निवासी—52/2,

ब्रुकवॉण्ड कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) ——**प्रार्थी**

बनाम

श्री आर. एल. गौड़ अभि. द्वारा आज दि० 12-2-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12-2-18

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुड़ेल क्षेत्र जिला इंदौर (म.प्र.)
2. प्रकाश पुत्र सुखलाल
3. दिनेश पुत्र सुखलाल
4. मुकेश पुत्र सुखलाल निवासीगण—उमरिया खुर्द, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.)
5. श्रीमती मीराबाई पत्नी उदे सिंह, निवासी—निपानिया तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) ——**प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29/01/2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक—10/अ 74/2017—18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/1092

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 29-1-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 के पिता को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर प्रदाय की गई थी । प्रश्नाधीन भूमि अहस्तांतरणीय होने के बावजूद अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के अनावेदिका क्रमांक 4 को विक्रय किया गया एवं अनावेदिका क्रमांक 4 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को विक्रय की गई है । संहिता की धारा 165-7 (ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि पट्टे की भूमि अहस्तांतरणीय है और बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा । अत: कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का स्वत्व समाप्त कर शासन के नाम वेष्टित करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	